न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 01 / 2024 (निगरानी)
जी.सी.एम.एस. नं. – 2024 / 37

उनवान

जमीला बानों पित्न मोहम्मद युसूफ जाति मुसलमान निवासी मकान न. 171 रामकृष्ण कॉलोनी रंगपुर रोड कोटा जर्ये मुख्तार आम जफर इकबाल पुत्र मोहम्मद युसूफ जाति मुसलमान निवासी मकान न. 171 रामकृष्ण कॉलोनी रंगपुर रोड कोटा

(निगराकार)

बनाम

1. नगर पालिका इटावा,जिला कोटा जर्ये अधिशाषी अधिकारी कार्यालय नगर पालिका इटावा।
2. मोहम्मद छुट्टन पुत्र मोहम्मद इब्राहीम
3. शमीम बानो पत्नि मोहम्मद छुट्टन
4. मोहम्मद इरशाद पुत्र मोहम्मद छुट्टन जातियान मुसलमान निवासी हरदेव जी के चबुतरे के सामने हाट मैदान गेंता रोड इटावा, तहसील पीपल्दा ।

(गैरनिगराकार)

उपस्थित :– अभिभाषक श्री अशोक कुमार गुप्ता (निगराकार)
अभिभाषक श्री मुकट बिहारी पारेता (गैर निगराकार 1)
अभिभाषक श्री रमाकान्त लोहिया (गैर निगराकार 2 ता 4)

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ★ कोटा (राज.) सत्यमेव जयते

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 नगर पालिका अधिनियम पट्टा न. 2021 / 106 दिनांक 2.11.2021 नगर पालिका इटावा

निर्णय दिनांकः– 29/4/26

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि निगराकार करीब 62 वर्ष की अत्यन्त वृद्व महिला है निगराकार का जफर इकबाल पुत्र है निगरानी न्यायालय के समक्ष विधिक कार्यवाही में स्वंय उपस्थित होकर तथा अपने हस्ताक्षर स्वंय करने में सर्वथा असमर्थ चली आ रही है। इस कारण निगराकर स्वंय ने अपनी व अपनी सम्पति रजिस्ट्रर्ड कय शुद्वा मकान वाके ग्राम इटावा जिला कोटा की देखभाल व संभालने आद्वि के लिए एक दस्तावेज मुख्तार नामा दिनांक 17.7.2023 को अपने पुत्र जफर इंकबाल को बनाया हुआ है। प्रस्तुत निगरानी निगराकार से ओर मुख्तार आम जफर इकबाल द्वारा प्राप्त हक अधिकारो के तहत अपने हस्ताक्षर से प्रस्तुत की है। निगराकार के नाम रजिस्ट्रर्ड कय शुद्वा भूमि / मकान पुराने वार्ड न.29 ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा मे स्थित चला आ रहा

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

है जो कुल 450 वर्गफीट का है उक्त मकान विक्रेता मोहम्मद युसुफ से जर्ये रजिस्टर्ड दिनांक 5.08.2010 को कय किया है तब से निगराकार उक्त भूखण्ड/मकान की मालिक चली आ रही है। उक्त मकान/भूखण्ड का विकय दान या अन्य किसी प्रकार से अन्तरण या हस्तान्तकरण निगराकार द्वारा नही किया गया है।

उक्त रजिस्ट्रर्ड शुद्वा भूखण्ड मय निर्मित मकान जो निगराकार के नाम चले आ रहे है कि देखभाल करने के लिए गैर निगराकार कम 2 व उसके परिवार को दिया था गैर निगराकर क. 2 ता. 4 द्वारा द्वारा फर्जी-कूटरचित दस्तावेज बनाकर राजस्थान सरकार द्वारा चलाये गये केम्प के दौरान अपने नाम दिनांक 2.11.2021 को पट्टा संख्या 69-क (फ्री होल्ड) का पट्टा जारी करवा लिया। जबकि गैर निगराकार क. 2 लगायत 4 को यह पूर्ण ज्ञान व जानकारी थी कि गैरनिगराकार कम 3 जिसके नाम पट्टा जारी हुआ है उक्त भूखण्ड/मकान का मालिक नही है। उक्त पट्टें की नकल प्राप्त होने पर निगराकार डिले का कन्डोन हेतु प्रा.पत्र धारा 5 लिमिटेंशन एक्ट के आवेदन के साथ एवं डिस्पेन्स विद मिलस (तलब किये जाने मिसल) किये जाने के साथ निगरानी अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है।

अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी निगराकार स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का पट्टा नं. **PSKSA@2021/106** दिनांक 2.11.2021 निरस्त फरमाया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता हो वह भी प्रदान किये जावे।

निगरानी सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगराकार की तलबी की गई। गैर निगराकार कम 1 की ओर से अभिभाषक श्री मुकट बिहारी पारेता एवं कम 2 ता 4 की ओर से अभिभाषक श्री रमाकान्त लोहिया वकालतनामा पेश किया ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील निगराकार द्वारा उक्त निगरानी नगर पालिका द्वारा जारी पट्टा नं. **PSKSA@2021/106** दिनांक 2.11.2021 के विरूद्व उक्त निगरानी दिनांक 8.2.2024 को प्रस्तुत की गई है,जो विलम्ब से प्रस्तुत हुई है। वकील अपीलान्ट द्वारा जैर निगरानी आदेश की जानकारी नकल प्राप्त करने के बाद होना जाहिर किया है। अतःन्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

पत्रावली में बहस सुनी गई। वकील गैरनिगराकार कम 2 ता 4 द्वारा दोराने बहस कथन किया कि वकील निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी में पट्टा नगर पालिका द्वारा जारी किया जाना अंकित है। नगर पालिका द्वारा जारी पट्टें की निगरानी सुननें का अधिकार इस न्यायालय को नही है। अतःनिगरानी खारिज कि जावे। उक्त निगरानी के क्षैत्राधिकार बाबत् वकील गैरनिगराकार द्वारा निगरानी खारिज किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है। वकील गैर निगराकार कम 1 द्वारा भी दोराने बहस निगरानी के क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त न होने बाबत वकील गैरनिगराकार कम 2 ता 4 का समर्थन कर निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उक्त निगरानी वकील निगराकार द्वारा नगर पालिका इटावा द्वारा जारी पट्टा नं. **PSKSA@2021/106** दिनांक 2.11.2021 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 97 नगर पालिका अधिनियम के तहत पेश की गई है। जबकि उक्त पट्टा नगर पालिका द्वारा जारी किया गया है। न्यायालय, वकील गैर निगराकार कम 4 के कथनो से सहमत है कि नगर

अति० जिला कलक्टर
कोटा

पालिका द्वारा जारी पट्टे की निगरानी सुनने का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही है।

अतः निगरानी क्षेत्राधिकार व श्रृवधाधिकार मे नही होने के कारण खारिज की जाती है । वकील निगराकार संक्षम न्यायालय में निगरानी दायर कर राहत प्राप्त करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक....29/4/26......को खुले न्यायालय सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह [illegible])
अति. जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा
कोटा